सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 355 राँची, सोमवार, 29 जून, 2026 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

24 जून, 2026

संचिका संख्या-ख०नि०(विविध/JIMMS-66/2025-1688/एम०,--

बिषयः- Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-23C के तहत झारखण्ड राज्यान्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं खनन की रोकथाम हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का गठन किया गया है, जिसमें JIMMS अर्थात् Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System का एक Online System का उल्लेख है, जिसका प्रशासी विभाग खान एवं भूतत्व विभाग है। The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017के तहत JIMMS अर्थात् Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System एक वैधानिक सिस्टम है जिसके माध्यम से राजस्व का संग्रहण, खनिज के प्रेषण हेतु परमिट का अनुमोदन तथा परिवहन चालान का निष्कासन का विनियमन किया जाता है। JIMMS के सिस्टम को निर्बाध सुचारू रूप से क्रियाशील बनाये रखना आवश्यक है।

2. उक्त JIMMS का सर्वप्रथम वर्ष 2015 में JAP-IT द्वारा चयनित M/s CSM Technologies Pvt. Ltd. (Formerly M/s Cybertech Software & Multimedia Pvt. Ltd.) के द्वारा विकसित एवं संचालित किया जाता रहा है। M/s CSM Technologies Pvt. Ltd.एवं JAPIT के साथ सम्पन्न Tripartite Agreementमें कुल राशि 5,67,01,864/-(पाँच करोड़ सड़सठ लाख एक हजार आठ सौ चौसठ) था। उक्त Agreementराशि में वृद्धि एवं अवधि विस्तार समय-समय पर किया जाता रहा है। वर्त्तमान में M/s CSM Technologies Pvt. Ltd. का नाम M/s CSM Technologies Ltd.हो गया है।

3. वर्त्तमान में JAP-ITके द्वारा JIMMSके Version 2.0के Development, Operation and Management हेतु निविदा के माध्यम से M/s CSM Technologies Pvt. Ltd. (Formerly M/s Cybertech Software & Multimedia Pvt. Ltd.) का चयन किया गया है। JIMMS के संचालन हेतु System Integratorके प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात System Integrator M/s CSM Technologies Ltd. द्वारा वर्त्तमान में निष्पादित त्रिपक्षीय एकरारनामा दिनांक-20.05.2025 की शर्तो के आलोक में कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना में JIMMS PMUमें कार्यरत व्यक्तियों का वेतन भी शामिल है, जो माह-जून, 2025 से भुगतान हेतु लंबित है। उक्त त्रिपक्षीय एकरारनामा के अनुसार वर्षवार व्यय प्राक्कलन निम्नवत हैः-

JIMMS 2.0 Project Annual Expenditure Estimate Details					
FY	**1st Qtr**	**2nd Qtr**	**3rd Qtr**	**4th Qtr**	**Total**
2025-26		₹ 65,47,650.00	₹9,15,79,649.00	₹ 70,20,050.00	₹ 10,51,47,349.00
2026-27	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 2,80,80,200.00
2027-28	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 2,80,80,200.00
2028-29	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 2,80,80,200.00
2029-30	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 70,20,050.00	₹ 2,80,80,200.00
2030-31	₹ 70,20,050.00	₹ 4,72,400.00	₹ 4,72,400.00		₹ 79,64,850.00
Total:-					₹ 22,54,32,999.00
Tax (18% GST)					₹ 4,05,77,939.82
Payment as AME to Jap-IT (@5%)					₹ 1,12,71,650.00
Grand Total:-					₹ 27,72,82,588.82

4. M/s CSM Technologies Ltd.एवं JAPIT के साथ हस्ताक्षरित Tripartite Agreementके अनुसार उक्त राशिPMU, PIU तथा Helpdesk का भुगतान Quarterly Basis पर तथा One Time Development, BI Tool & Dashboard हेतु राशि का भुगतान Go-liveउपरांत 90% तथा शेष Quarterly Basis पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-1269, दिनांक-21.09.2023 की कंडिका-2.3 के आलोक में JIMMS 2.0 योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल लागत 27,72,82,588.82 रूपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक- 27.05.2026 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-30 में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 355-- 50